कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरत्न कंपनी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

रिक्ति अधिसूचना संदर्भ संख्या सीएसएल/ का.व प्र./ भर्ती / प्रशिक्षार्थी /सामान्य/2023/1
दिनांक 04 अप्रैल 2023

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न कंपनी, सीएसएल केलिए **शिपड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षार्थी** के निम्नलिखित शाखा को भरने हेतु पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है:-

I. शाखा का नाम व शैक्षिक योग्यता:

तालिका 1

क्र.सं.	शाखा	शैक्षिक योग्यता
1	शिपड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षार्थी (यांत्रिक)	(क) एसएसएलसी में उत्तीर्ण । (ख) मेकानिकल इंजीनियरिंग शाखाओं में 60% अंकों के साथ तकनीकी शिक्षा राज्य बोर्ड द्वारा जारी किए गए तीन साल के डिप्लोमा के साथ ड्राफ्ट्समैन केलिए रुझान एवं सीएडी में प्रवीणता।
2	शिपड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षार्थी (विद्युत)	(क) एसएसएलसी में उत्तीर्ण । (ख) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखाओं में 60% अंकों के साथ तकनीकी शिक्षा राज्य बोर्ड द्वारा जारी किए गए तीन साल के डिप्लोमा के साथ ड्राफ्ट्समैन केलिए रुझान एवं सीएडी में प्रवीणता।

II. महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ : 05 अप्रैल 2023
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 19 अप्रैल 2023

III. शाखा, सीटों की संख्या और आरक्षण :

तालिका 2

क्र.सं.	शाखा	अनारक्षित	अ.पि.व	अ.जा.	ईडब्ल्यूएस	कुल
1	शिपड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षार्थी (यांत्रिक)	34	15	5	5	59

2	शिपड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षार्थी (विद्युत)	10	6	-	1	17
	कुल	**44**	**21**	**5**	**6**	**76**

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार सीटों की संख्या बढाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

ख) उपरोक्त 76 सीटों में से 4 सीटें बैंचमार्क दिव्यांगज व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) केलिए निर्धारित हैं। विस्तृत शारीरिक आवश्यकताएं और पहचान की गई श्रेणियां नीचे दी गई हैं-

तालिका 3

शाखा	**वर्ग**	**बेंचमार्क दिव्यांगजता**
शिपड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षार्थी (मेकानिकल)	वर्ग (ख)	बेहरा और सुनने में मुश्किल
	वर्ग (ग)	एक हाथ, दोनों हाथ, एक पैर, दोनों पैर, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडितों
	वर्ग (घ)	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (मृदु), विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मानसिक बीमारी
	वर्ग (ङ)	उपरोक्त सभी को शामिल करते हुए एकाधिक अक्षमता
शिपड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षार्थी (विद्युत)	वर्ग (ख)	बेहरा और सुनने में मुश्किल
	वर्ग (ग)	एक हाथ, दोनों हाथ, एक पैर, दोनों पैर, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडितों
	वर्ग (घ)	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर (मृदु), विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मानसिक बीमारी
	वर्ग (ङ)	उपरोक्त सभी को शामिल करते हुए एकाधिक अक्षमता

IV. प्रशिक्षण की अवधि:

a) प्रशिक्षण की अवधि **दो वर्ष** की होगी। फिर भी, संगठनात्मक आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धता और वैयक्तिक निष्पादन के आधार पर, सफल उम्मीदवारों को सीएसएल के विवेकाधिकार पर 3 साल की अवधि केलिए अनुबंध पदों केलिए विचार किया जा सकता है।

V. वजीफा:

तालिका 4

प्रशिक्षण अवधि	वजीफा (प्रति महीने)	कार्य के अतिरिक्त घंटे केलिए क्षतिपूर्ति (प्रति महीने)
प्रथम वर्ष	₹ 12600/-	₹ 4450/-
द्वितीय वर्ष	₹ 13800/-	

VI. आयु:

क) **सीटों केलिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा दिनांक 19 अप्रैल 2023 को 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आवेदकों का जन्म दिनांक 20 अप्रैल 1998 को या उसके बाद होना चाहिए।**

ख) केवल अ.पि.व. श्रेणी केलिए आरक्षित सीटों में अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों केलिए 3 वर्ष और अ.जा के उम्मीदवारों केलिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी।

ग) बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) केलिए आयु में छूट भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुसार होगी।

VII. चयन की रीति:

क) चयन की विधि में, **चरण I – वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा** और **चरण II - प्रायोगिक परीक्षा** शामिल होगी, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है :-

तालिका 5

शाखा	चयन की विधि और अंक
शिपड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षार्थी (यांत्रिक)	i. डिप्लोमा अंक– **20 अंक** ii. **चरण I –** वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा - **50 अंक** iii. **चरण II –** सीएडी सॉफ्टवेयर में प्रायोगिक परीक्षा - **30 अंक** **कुल - 100 अंक**
शिपड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षार्थी (विद्युत)	

ख) ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल द्वारा निर्धारित केरल या कोच्ची में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदकों के पास अपना

ऑनलाइन आवेदन पूरा करते समय ऑनलाइन परीक्षा केलिए केरल में परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प है। परीक्षा केंद्र का आबंटन सीएसएल के विवेकाधिकार पर होगा।

ग) **चरण I - वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा 60 मिनट की अवधि की होगी** और इसमें दो भाग **सामान्य (भाग क) और विषय संबंधी (भाग ख)** शामिल होंगे। भाग क में सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेज़ी, तर्क और मात्रात्मक योग्यता शामिल हैं। प्रश्न पत्र का पैटर्न, प्रश्नों की संख्या और अंकों के आबंटन का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 6

प्रत्येक खंडों में प्रश्नों की संख्या/ प्रति खंड अंक *					ऑनलाइन परीक्षा केलिए कुल प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक
सामान्य ज्ञान	सामान्य अंग्रेज़ी	तर्क	मात्रात्मक योग्यता	विषय संबंधी	
5	5	5	5	30	50

* प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।

घ) चरण I - वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक विषय केलिए अंकसूची तैयार की जाएगी।

ङ) चरण I – वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा केलिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार हैं:-

अनारक्षित पदों व ईडब्लयूएस उम्मीदवारों केलिए- वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कुल अंकों का 50 %,
अ.पि.व. उम्मीदवारों केलिए- प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 45% केवल अ.पि.व. केलिए आरक्षित रिक्तियों केलिए,
अ.जा. उम्मीदवारों केलिए - प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40 % केवल आ.जा. केलिए आरक्षित रिक्तियों केलिए,
पीडब्लयूबीडी उम्मीदवारों केलिए- वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कुल अंकों का 40 %

च) उम्मीदवार जो अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें पात्रता आवश्यकताओं (आयु, शाक्षिक योग्यता, आरक्षण आदि) के सत्यापन केलिए चरण - II के चयन केलिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार को आयु, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण और आरक्षण श्रेणियों (अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस/पीडब्लयूबीडी) केलिए मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। सीएसएल मेरिट के क्रम में प्रमाणपत्रों के सत्यापन केलिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, ताकि चरण II प्रायोगिक परीक्षा केलिए एक सीट केलिए न्यूनतम 6 उम्मीदवारों के अनुपात में उम्मीदवार उपलब्ध किया जा सके । उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र सत्यापन के समय स्वयं साक्ष्यांकित प्रमाणपत्र की प्रतियों के साथ मूल रूप में सभी आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हे चरण II परीक्षाओं में भाग लेने केलिए लघुसूचीगत करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

छ) प्रमाणपत्र सत्यापन के अलावा, सीएसएल द्वारा तय किए गए अनुसार 1:6 अनुपात से कम होने पर भी चरण II प्रायोगिक परीक्षा पात्र उम्मीदवारों के साथ आयोजित की जाएगी।

ज) **केवल वे उम्मीदवार जो प्रमाणपत्र सत्यापन को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें चरण – II (प्रायोगिक परीक्षा) में भाग लेने केलिए लघुसूचीगत किया जाएगा।**

झ) **चरण - II (प्रायोगिक परीक्षा) केलिए,** उम्मीदवारों को सीएडी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक ड्राइंग तैयार करना आवश्यक है। चरण – II (प्रायोगिक परीक्षा) सीएसएल, कोच्ची में आयोजित किया जाएगा।

ञ) चरण – II (प्रायोगिक परीक्षा) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशतक स्कोर पर आधारित होगा। प्रतिशतक स्कोर उन सभी संबंधित निष्पादन पर आधारित अंक होता हैं जो परीक्षा में शामिल होते हैं। उच्च निष्पादक को 30 अंक प्राप्त होगा। चरण – II (प्रायोगिक परीक्षा) केलिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33.33 प्रतिशत है।

ट) प्रत्येक विषय केलिए रैंक सूची अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा दोनों में उत्तीर्ण होंगे। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रकारी की ऑनलाइन परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंक रैंक सूची के क्रम को निर्धारित करने का आधार होगा। उसके बाद टाई होने पर, उम्र की वरीष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।

a) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल को विभिन्न विषयों केलिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार है और केवल लघुसूचीगत किए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

VIII. <u>शर्तें:</u>

(क) आरक्षण :

(i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।

(ii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी *वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र* निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे चूकने पर उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण की ओर नहीं माना जाएगा:-

- जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का ना हो
- उप- विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतया रहता हो।

(iii) यदि आवेदक अ.जा. या अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों केलिए लागू रियायतों या छूटों केलिए विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया *एक वैध दिव्यांगजता प्रमाणपत्र* निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) <u>योग्यता</u>

(i) पद केलिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

(ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समतुल्य योग्यता रखने वाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समतुल्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और इस तरह के प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) **निर्धारित योग्यता के बिना आवेदक, लेकिन उच्च योग्यता जैसे बी-टेक, एम.एससी आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(iv) आवेदकों को पदों केलिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है । कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं । यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में

और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा । फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड को निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने केलिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है ।

ग) <u>आवेदन शुल्क</u>

i) **ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 600/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) का आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 05 अप्रैल 2023 से 19 अप्रैल 2023** तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । <u>भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा ।</u>

ii) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है ।** उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा ।

घ) <u>आवेदन कैसे करें</u>

i) आवेदकों को वेबसाइट **<u>www.cochinshipyard.in</u>** (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन केलिए लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढना चाहिए। आवेदन के दो चरण होते हैं – **पंजीकरण** और **आवेदन प्रस्तुत करना ।** आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा ।

ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को पढें, पंजीकरण पूरा करें और **दिनांक 05 अप्रैल 2023** से ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से अपना आवेदन जमा करें और यह सुविधा हमारी वेबसाइट **<u>www.cochinshipyard.in</u>** (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है । सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है । ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा । किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है ।

iv) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

v) **<u>ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी ।</u>** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए ।

vi) ***<u>आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है ।</u>***

vii) वेबसाइट **दिनांक 05 अप्रैल 2023** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक 19 अप्रैल 2023** है । अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें । ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/ फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है ।***

ङ) <u>सामान्य</u>

(i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे सीट के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**

(ii) ***<u>जो वर्तमान में इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि में सीएसएल के रोल पर शिपड्राफ्ट्समैन प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहे हैं, वे आवेदन के पात्र नहीं हैं।</u>***

(iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता /अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाओं के समर्थन में किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ी विवरण मांगने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/ उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल, निर्धारित

तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/गैर-प्राप्ति केलिए उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस सिलसिले में कोई पत्राचार प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

(iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल की ओर से किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

(v) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(vi) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

(vii) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट **www.cochinshipyard.in** के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट** (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) **के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) को बार- बार देखें।

(viii) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं होगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

(ix) सीएसएल दो साल के प्रशिक्षण के दौरान या उसके बाद प्रशिक्षुओं की नियमित नियुक्ति केलिए उत्तरदायी नहीं है।

(x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच

की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

(xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

(xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

(xiii) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।

(xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

(xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों की बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

(xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(xvii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

(xviii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

(xix) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व प्रशिक्षण)